THE TELEGRAPH CALCUTTA SUNDAY 24 JANUARY 2016

Aid for Gumla orphans, others

OUR CORRESPONDENT

Ranchi, Jan. 23: Jaggu (10), Rina (8) and Anuj Mahli (6) were orphaned by rebels last December. The Gumla siblings can't get their parents back, but their lives have been made a little easier, thanks to Jharkhand Legal Services Authority (Jhalsa).

Jhalsa implored the state government to help the distressed children following which the administration admitted them to a government boarding school and provided them a compensation of Rs 2 lakh. Henceforth, all their needs will be taken care of by the state.

The rehabilitation of the children marked the inauguration of a state-level colloquium on Victim Emancipation through Compensation organised by Jhalsa at Nyaya Sadan in Ranchi today.

Jhalsa executive chairman and Jharkhand High Court Justice D.N. Patel said the government gave compensations of Rs 32 lakh to 141 rape and assault survivors besides the kin of murder victims. "Very little is thought of the victim and even though there are provisions for providing compensation to them, not much stress is put on it," Justice Patel said.

Supreme Court Justice Anil R Dave gives a cheque to Rina Mahli in Ranchi on Saturday. (Hardeep Singh)

Supreme Court Justice and National Legal Services Authority executive chairman Anil R. Dave said the judges often sympathised with the accused. "Judges should ensure that victims are compensated adequately by the government or the offender," he added.

Jharkhand High Court Chief Justice Virender Singh was of the opinion that a victim was the one who suffered trauma at the hands of the accused. "The victim needs to be assured of assistance by the state in the form of rehabilitation and compensation."

Foundation laid for Rs 21-crore facility in capital

New court building soon

OUR CORRESPONDENT

Ranchi, Jan. 23: Supreme Court judge Anil R. Dave today laid the foundation stone for a G+5 building on the premises of Ranchi civil courts at Kutchery Chowk in the heart of the capital under an infrastructure expansion plan to ensure better legal services and speedy disposal of cases.

The Rs 21 crore building, covering a carpet area of 1,60,000 square metres, will include 40 court rooms, apart from Nyaya Sadan, a family court and a conference hall, among others. The basement will have parking space for 46 cars and around 200 bikes.

To be developed by two construction companies, RKS and HITEN, under a joint venture, the project will be ready within one-and-a-half years.

"I am happy to lay the foundation of the new court building on the birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose," said Dave, who is also the executive chairperson of National Legal Services Authority, at the event.

Jharkhand High Court Chief Justice Virender Singh, Justice D.N. Patel, Karnataka High Court Justice Vineet Saran, Principal Judicial Commissioner of Ranchi civil courts A.V. Singh and building construction department secretary K.K. Soan, among others, were also present.

Supreme Court Justice Anil R Dave (fourth from right) **with Jharkhand High Court Chief Justice Virender Singh** (third from right) **and others at the foundation ceremony at the civil courts in Ranchi on Saturday.** Picture by Hardeep Singh

"2016 will be the year of excellence for judiciary in Jharkhand. Basic facilities will be improved at all the courts across the state," said Chief Justice Singh.

He further said currently there were 38 judicial officers at the Ranchi district court, which needed to be increased.

"With the new building coming up, we expect 78 judges and magistrates to hold their respective courts on the campus in coming days. Induction of more judicial officials will help speed up the disposal rate and reduce the number of pending cases," he added.

The main building of the civil courts was established way back in 1952. Over the years, three more buildings — magistrate court (1985), CBI court (2001) and fast-track court (2002) — came up on the campus. Sources said the double-storey magistrate court would be demolished to make space for the new building.

Among other facilities, a video-conferencing studio was inaugurated in 2005 and an e-court for trial of inmates in judicial custody was opened in 2013.

SUNDAY HINDUSTAN TIMES, RANCHI
JANUARY 24, 2016

Victims must be at the centre of case verdicts, say judges

Rajesh Upadhyay
htjharkhand@hindustantimes.com

RANCHI: Victims should be at the centre of judgment in a criminal case, said senior judges and lawyers at a conference on Saturday.

Justice Anil Dave of the Supreme Court and executive chairman of the national Legal Services Authority, Jharkhand, High Court Chief Justice Virender Singh, Karnataka High Court Judge and Chief Justice-designate of the Odisha High Court Vineet Saran, Jharkhand Legal Services Authority chairman-cum-judge Justice DN Patel and other high court judges were present at the conference.

They deliberated upon 'Victim Emancipation through Compensation,' at the state-level colloquium organised by the Jharkhand Legal Services Authority (JHALSA) on its premises in Ranchi.

Justice Dave was impressed by the efforts of the JHLSA, its para-legal volunteers and prison authorities in identifying and compensating victims of rape, murder and of child harassment cases.

He said, "I salute government officers and social workers engaged in such works. Back to Delhi, I will tell my colleagues who tell that Jharkhand is an underdeveloped state that it is the most advanced and developed state when human sensitivity comes; where the state takes care and looks after the victims."

Judges at the state-level conference at Jharkhand State Legal Services Authority in Ranchi on Saturday. DIWAKAR PRASAD/HT PHOTO

SUNDAY TIMES OF INDIA, RANCHI
JANUARY 24, 2016

Jhalsa focus on crime victims

TIMES NEWS NETWORK

Ranchi: A state-level colloquium on victim emancipation through compensation was organized by the Jharkhand State Legal Services Authority (Jhalsa) on Saturday.

Justice D N Patel, judge at Jharkhand high court and executive chairman of Jhalsa said, "Justice remains incomplete without adequate compensation to the victims. Twelve districts are participating in the colloquium and a similar programme will be organized in February for the rest of the districts to create awareness on compensation to victims."

Justice Anil R Dave, Supreme Court judge and executive chairman of National Legal Services Authority (NALSA), who was the chief guest on occasion said Jharkhand is not an under-developed state.

"Jharkhand is the most advanced state and can look after victims. We all sympathize with the accused, but nobody thinks about the victims of crime. Even in Manusmriti, it is said whenever a person is injured or harmed he must be compensated," he said.

Justice Virender Singh, Chief Justice of Jharkhand high court and patron-in-chief, Jhalsa said: "Behind each crime, there is a victim and behind each victim there is a trauma. Suffering is not for that particular victim but their entire family."

He also said it becomes the duty of the court to take care of the victim even if the accused is acquitted.

On the occasion, 19 victims were given a compensation of more than Rs five lakh.

sunday pioneer
RANCHI | SUNDAY | JANUARY 24, 2016

Orphans, rape victims get compensation

JHALSA distributes compensation to victims

AVNISH SINHA ■ RANCHI

Ten-year-old Jaggu Mahli would not have imagined that the murder and loss of sole bread earner for him and his two siblings — Rina Kumari (8-year-old) and Anuj Mahli (2-year-old) — would have resulted in anything beyond retributive justice.

However, the State Government and judiciary exhibited an entirely different attitude towards the orphaned children, besides victims of heinous crimes and provided succour through financial assistance on Saturday under the Victim Compensation Scheme.

Eight-year-old Anuj Mahli receives a cheque from Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman, NALSA Anil R. Dave at the State Level Colloquium on Victim-Emancipation through Compensation programme at JHALSA in Ranchi on Saturday. Justice, Jharkhand High Court DN Patel are also seen in the picture

Vinay Murmu | Pioneer

Victims tormented by criminals in 41 Rape Cases, 21 Murder Cases and 29 POCSO cases were given compensation to facilitate their rehabilitation in society. As the compensation scheme took off at State Level Colloquium on 'Victim Emancipation and through Compensation" organised by Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA), the association launched efforts with State Government to educate and train judicial and administrative officers as to how compensate victims left in lurch because of anti-social activities.

While presiding over the function, Supreme Court Judge and Executive Chairman of National Legal Services Authority, Justice AR Dave stressed on the greater role of society in rehabilitation and compensation activities to help victims' return to normal life. "It also becomes the duty of the society to see that victims are suitably compensated," said the Supreme Court Judge.

MORNING INDIA
www:pmedia.in
03 Ranchi, Sunday
24 January 2016

40 courts' building inaugurated

MI News Service

RANCHI: Supreme Court Justice Anil R Dave laid the foundation of the 40 courts' building in Ranchi Civil Court premises on Saturday. Justice Vineet Sharan Karnataka High Court, Chief Justice Jharkhand High Court Virender Singh, Justice DN Patel Jharkhand High Court and several other judges were present on the occasion. The 40 courts' building will be a G+5 building build with a cost of Rs 22crore. Talking to the media Chief Justice Jharkhand High Court Virender Singh said the courts building would be helpful in ensuring immediate justice.

Role of society vital for ensuring justice to deprived: Justice Dave

MI News Service

RANCHI: Calling Judiciary an integral part of the society Supreme Court Justice Anil R Dave on Saturday said the society must take the charge in order to extend justice for the deprived and poor sections. He said the judges while passing their verdict must also keep in mind the loss incurred on the victim's family rather than merely looking at the severity of the verdict. Dave was speaking at a seminar organized on the subject on extending help to the sufferers through compensation in 'Nyay Sadan' in Doranda. On the occasion Rs 32lakh were paid to 141 victims and their families. He said Jharkhand Legal Services Authority (JHALSA) is playing a significant role in this direction and its efforts are being lauded all over the world.

Virender Singh, Chief Justice Jharkhand High Court on the occasion said compensation is the legal right of the victim side and advised the judges to keep this fact in mind while judging a case. Justice Vineet Sharan of Karnataka High Court on the occasion stressed on spreading awareness in this regard to ensure compensation.

Jharkhand High Court Justice RR Prasad and Justice DN Patel were also present on the occasion.

THE TELEGRAPH CALCUTTA SUNDAY 24 JANUARY 2016

Aid for Gumla orphans, others

OUR CORRESPONDENT

Ranchi, Jan. 23: Jaggu (10), Rina (8) and Anuj Mahli (6) were orphaned by rebels last December. The Gumla siblings can't get their parents back, but their lives have been made a little easier, thanks to Jharkhand Legal Services Authority (Jhalsa).

Jhalsa implored the state government to help the distressed children following which the administration admitted them to a government boarding school and provided them a compensation of Rs 2 lakh. Henceforth, all their needs will be taken care of by the state.

The rehabilitation of the children marked the inauguration of a state-level colloquium on Victim Emancipation through Compensation organised by Jhalsa at Nyaya Sadan in Ranchi today.

Jhalsa executive chairman and Jharkhand High Court Justice D.N. Patel said the government gave compensations of Rs 32 lakh to 141 rape and assault survivors besides the kin of murder victims. "Very little is thought of the victim and even though there are provisions for providing compensation to them, not much stress is put on it," Justice Patel said.

Supreme Court Justice Anil R Dave gives a cheque to Rina Mahli in Ranchi on Saturday. (Hardeep Singh)

Supreme Court Justice and National Legal Services Authority executive chairman Anil R. Dave said the judges often sympathised with the accused. "Judges should ensure that victims are compensated adequately by the government or the offender," he added.

Jharkhand High Court Chief Justice Virender Singh was of the opinion that a victim was the one who suffered trauma at the hands of the accused. "The victim needs to be assured of assistance by the state in the form of rehabilitation and compensation."

Foundation laid for Rs 21-crore facility in capital

New court building soon

OUR CORRESPONDENT

Ranchi, Jan. 23: Supreme Court judge Anil R. Dave today laid the foundation stone for a G+5 building on the premises of Ranchi civil courts at Kutchery Chowk in the heart of the capital under an infrastructure expansion plan to ensure better legal services and speedy disposal of cases.

The Rs 21 crore building, covering a carpet area of 1,60,000 square metres, will include 40 court rooms, apart from Nyaya Sadan, a family court and a conference hall, among others. The basement will have parking space for 46 cars and around 200 bikes.

To be developed by two construction companies, RKS and HITEN, under a joint venture, the project will be ready within one-and-a-half years.

"I am happy to lay the foundation of the new court building on the birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose," said Dave, who is also the executive chairperson of National Legal Services Authority, at the event.

Jharkhand High Court Chief Justice Virender Singh, Justice D.N. Patel, Karnataka High Court Justice Vineet Saran, Principal Judicial Commissioner of Ranchi civil courts A.V. Singh and building construction department secretary K.K. Soan, among others, were also present.

Supreme Court Justice Anil R Dave (fourth from right) **with Jharkhand High Court Chief Justice Virender Singh** (third from right) **and others at the foundation ceremony at the civil courts in Ranchi on Saturday.** Picture by Hardeep Singh

"2016 will be the year of excellence for judiciary in Jharkhand. Basic facilities will be improved at all the courts across the state," said Chief Justice Singh.

He further said currently there were 38 judicial officers at the Ranchi district court, which needed to be increased.

"With the new building coming up, we expect 78 judges and magistrates to hold their respective courts on the campus in coming days. Induction of more judicial officials will help speed up the disposal rate and reduce the number of pending cases," he added.

The main building of the civil courts was established way back in 1952. Over the years, three more buildings — magistrate court (1985), CBI court (2001) and fast-track court (2002) — came up on the campus. Sources said the double-storey magistrate court would be demolished to make space for the new building.

Among other facilities, a video-conferencing studio was inaugurated in 2005 and an e-court for trial of inmates in judicial custody was opened in 2013.

रांची, 24 जनवरी 2016 दैनिक जागरण

न्याय क्षेत्र में उत्कृष्ट वर्ष होगा 2016

- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने सिविल कोर्ट में किया कोर्ट बिल्डिंग का शिलान्यास
- न्यायाधीशों ने कहा, रांची का तिरंगा झंडा हिंदुस्तान का गौरव

जागरण संवाददाता, रांची : न्याय के क्षेत्र में वर्ष 2016 उत्कृष्टता का वर्ष होगा। न्यायालयों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। साथ ही तीन सब डिविजनल कोर्ट व दो एडीआर (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) सेंटर खोले जाएंगे। ये बातें झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर कुमार सिंह ने कही। वे शनिवार को सिविल कोर्ट में आयोजित '40 कोर्ट बिल्डिंग' के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में 78 न्यायाधीशों की आवश्यकता है। लेकिन, अभी मात्र 38 न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश प्रशिक्षण ले रहे हैं, जल्द ही योगदान देंगे। न्यायाशीधों का योगदान व कोर्ट भवन लोगों को त्वरित न्याय दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि भवन जी प्लस फाइव होगा। एक फ्लोर जिला न्याय सदन का होगा, क्योंकि रांची जिले का मध्यस्थता केंद्र पूरे देश में अव्वल रहा है। यहां 60 फीसद मामलों के निष्पादन हुआ है।

मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिल आर दवे ने कहा कि डॉ. सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन भवन का शिलान्यास होना खुशी की बात है। सुसज्जित भवन बनना न्याय के क्षेत्र के लिए अच्छी पहल है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह व अनिल आर दवे ने रांची पहाड़ी पर देश का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा फहराये जाने की सराहना की। कहा कि यह रांची के लिए कीर्तिमान है। वीरेंदर सिंह ने कहा कि रांची में सबसे बड़ा तिरंगा झंडा फहराया जाना भारत के लिए गौरव की बात है। इसके पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल आर दवे, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंदर सिंह, कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनित शरण, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल, सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त अनंत विजय सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव केके सोन ने भूमि पूजन किया। नारियल फोड़ा व भवन निर्माण की आधारशिला रखी। मौके पर झारखंड हाईकोर्ट व सिविल कोर्ट के न्यायाधीश मौजूद थे। भवन निर्माण पर लगभग 26 करोड़ खर्च होंगे।

सिविल कोर्ट में भवन का शिलान्यास करते सुप्रीम कोर्ट के जज अनिल आर दवे, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह समेत अन्य न्यायाधीश।

पीड़ितों के पुनर्वास व मुआवजे पर हर हाल में हो विचार

राज्य ब्यूरो, रांची : सुप्रीम कोर्ट के जज और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जस्टिस अनिल आर. दवे इस मत के हैं कि आपराधिक न्याय प्रणाली में सिर्फ आरोपियों और अभियुक्तों के बारे में ही सोचने के बजाय पीड़ितों के बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इस बात का प्रावधान हमारी न्याय प्रणाली में होने के बावजूद इस पर ध्यान कम ही दिया जाता है। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शनिवार को इस विषय पर आयोजित सेमिनार में जस्टिस दवे ने बतौर मुख्य अतिथि अपराध पीड़ितों के पक्ष में आवाज उठाई। पीड़ितों को मुआवजा और पुर्नवास के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें समाज और अभियोजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही मामलों में पीड़ित गुमला जिले के तीन नाबालिग बच्चों को दो लाख रुपये मुआवजा देते हुए जस्टिस दवे भावुक हो गए। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में कहा, ईश्वर इन बच्चों को शक्ति दे। इनके माता-पिता की कुछ दिनों पहले हत्या कर दी गई थी। राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए तीनों बच्चों को दो लाख रुपये मुआवजा और सरकारी स्कूल में उनके पढ़ने की व्यवस्था की है।

रांची में शनिवार को आयोजित झालसा के सेमिनार में गुमला के एक बच्चे को मुआवजा राशि का चेक देते जस्टिस अनिल आर दवे।

मुआवजे की एक समान व्यवस्था जरूरी : जस्टिस पटेल : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने कहा कि पहले पीड़ितों को बहुत कम मुआवजा मिलता था। कहा, पूरे देश में एक समान तरीके के अपराध पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए।

अपराध पीड़ित को मुआवजा जरूर मिले

हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह ने कहा कि प्रत्येक अपराध का कोई न कोई पीड़ित होता है और उसको कभी न कभी भय से गुजरना पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि आरोपी भले ही रिहा हो जाए लेकिन पीड़ित को मुआवजा जरूर मिले।

प्रभात खबर

रांची, रविवार, 24 जनवरी, 2016
www.prabhatkhabar.com

विक्टिम कंपनसेशन विषय पर राज्यस्तरीय विचार गोष्ठी का आयोजन, बोले जस्टिस अनिल आर दवे

पीड़ित की सहायता के लिए समाज भी आगे आये

वरीय संवाददाता, रांची

पिछले वर्ष गुमला में तीन बच्चों के माता-पिता की हत्या कर दी गयी थी. बच्चों को देखनेवाला कोई नहीं था. जगू महली (10 वर्ष), रीना कुमारी (आठ वर्ष) व अनुज महली (आठ वर्ष) को गुमला के उपायुक्त ने दो लाख रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की. सरकार द्वारा बच्चों को गोद लिया गया. जस्टिस अनिल आर दवे ने उक्त तीनों बच्चों को दो लाख रुपये की मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया.

किसी भी तरह का अपराध समाज के लिए बुरा होता है. दोषी को सजा मिल जाती है. पीड़ितों की सहायता और उनका पुनर्वास जरूरी है. उनकी सहायता के लिए समाज को आगे आना चाहिए. समाज पीड़ित का ख्याल करे. जो पीड़ित है, जिसका कोई दोष नहीं होता है, उन्हें सहायता के रूप में समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए. झारखंड ने इस दिशा में कदम उठा कर उत्कृष्ट कार्य किया है. इसे और आगे बढ़ाया जाये, ताकि इसका संदेश पूरे देश में जाये. उक्त बातें सुप्रीम कोर्ट के जज व नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अनिल आर दवे ने कही. वे बतौर मुख्य अतिथि शनिवार को डोरंडा स्थित न्याय सदन सभागार में विक्टिम कंपनसेशन विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे.

कार्यक्रम का आयोजन झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी (झालसा) की ओर से किया गया था. झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह ने कहा कि आपराधिक घटनाओं से प्रभावित पीड़ित का पूरा परिवार सफर करता है. पीड़ितों को सहायता देना बड़ी बात है. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोर्ट मुलजिम का ख्याल जेल तक करता है, तो विक्टिम (पीड़ित) का ख्याल भी कोर्ट को करना होगा. कोर्ट को विक्टिम के लिए खड़ा होना है. उन्हें मुआवजा दिलाना कोर्ट की अनिवार्य ड्यूटी है. पीड़ितों को मुआवजा पाने का अधिकार है. कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड सरकार ने झारखंड पीड़ित कल्याण अधिकोष नियमावली 2014 लागू की है. नियमावली के तहत स्थापित विक्टिम वेलफेयर फंड से विक्टिम को मुआवजा राशि दी जाती है. चीफ जस्टिस श्री सिंह ने कहा कि इस योजना का पूरे राज्य में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाये. इसमें प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है. कर्नाटक हाइकोर्ट के जस्टिस विनीत शरण ने कहा कि देश में कई कानून है, लेकिन उसमें विक्टिम को मुआवजा का मामला काफी महत्वपूर्ण है. विक्टिम कंपनसेशन को लेकर जन जागरूकता बहुत जरूरी है. इस स्कीम के विषय मे लोगों को कम जानकारी है. झारखंड ने नियमावली बना कर सराहनीय कार्य किया है. इससे पूर्व झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष व झारखंड हाइकोर्ट के वरीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विषय प्रवेश कराया. उन्होंने कहा कि पीड़ितों की सहायता के लिए मुआवजा का प्रावधान किया गया है. लगभग 141 केस चिह्नित किये गये हैं, जिनके बीच 32 लाख रुपये का मुआवजा भुगतान किया जायेगा. जस्टिस पटेल ने कहा कि सेनसेटाइजेशन के साथ-साथ जागरूकता की आवश्यकता है. झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न मामलों में तय मुआवजा राशि अलग-अलग है. इसमें समानता लाने की भी जरूरत है. जस्टिस दवे सहित अन्य न्यायाधीशों ने झालसा द्वारा विक्टिम कंपनसेशन पर प्रकाशित पंपलेट व पुस्तक का विमोचन किया. कार्यक्रम के दौरान जस्टिस दवे ने मर्डर, दुष्कर्म, पोस्को मामले के पीड़ितों को मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया. इस अवसर जस्टिस आरआर प्रसाद, जस्टिस प्रशांत कुमार, जस्टिस पीपी भट्ट सहित हाइकोर्ट के अन्य सभी न्यायधीशगण, महानिबंधक अनिल कुमार चौधरी, कारा महानिरीक्षक सुमन गुप्ता, नालसा के सदस्य सचिव आलोक अग्रवाल, झारखंड स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला, विभिन्न जिलों के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, विभिन्न जेलों के अधीक्षक आदि उपस्थित थे. दो तकनीकी सत्र आयोजित किये गये. इसमें विभिन्न मुद्दों पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे.

झालसा की पहल पर हुआ तीन अनाथ बच्चों का पुनर्वास : जस्टिस पटेल

झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष व झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल ने बताया कि मर्डर के 21, पोस्को के 29 व दुष्कर्म के 41 मामलों को मुआवजा के लिए चिह्नित कर मुआवजा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष गुमला में तीन बच्चों के माता-पिता की हत्या कर दी गयी थी. बच्चों को देखनेवाला कोई नहीं था. वहां के पारा लीगल वालेंटियर (पीएलवी) ने इसकी सूचना 10 जनवरी को झालसा को दी. उसके बाद तुरंत आवेदन पर कार्रवाई की गयी. जगू महली (10 वर्ष), रीना कुमारी (आठ वर्ष) व अनुज महली (आठ वर्ष) को गुमला के उपायुक्त ने दो लाख रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की. सरकार द्वारा बच्चों को गोद लिया गया. उन्हें स्कूल में दाखिला कराया गया. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिल आर दवे ने उक्त तीनों बच्चों को दो लाख रुपये की मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया. इसके अलावा मुआवजा पानेवालों में तिजन देवी (45,000 रुपये), सहचरी देव (41,000 रुपये), नोनी देवी (37,200 रुपये), गीता देवी (26,000 रुपये), सरस्वती कच्छप (24,000 रुपये), एतवारी देवी (23,000 रुपये), विलियम तिर्की (14,000 रुपये), मजीरन खातून (24,000 रुपये), सुषमा लकड़ा (11,000 रुपये), रीना कच्छप (11,000 रुपये), ललिता देवी (10,000 रुपये), मनोज मुंडा (9,000 रुपये) आदि.

हिन्दुस्तान
•रांची • रविवार • 24 जनवरी 2016

आपराधिक मामले में पीड़ित को मुआवजे का हक

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

आपराधिक मामलों की सुनवाई के दौरान पीड़ित को केंद्र बिंदु मानना चाहिए। किसी आपराधिक मामले में पीड़ित को मुआवजा लेने का अधिकार है। निचली अदालतों को मामले की सुनवाई करते समय यह ध्यान में रखना होगा। यह कानून में भी है और झारखंड में इसकी नियमावली बन गई है, जो फरवरी 2014 से लागू है।

ट्रायल कोर्ट को पीड़ित को मुआवजा और पुनर्वास के प्रति भी गौर करना और संवेदनशील होना होगा। शनिवार को न्याय सदन डोरंडा में पीड़ित मुआवजा स्कीम पर आयोजित सेमिनार में यह निष्कर्ष निकला। सेमिनार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिल आर दवे, झारखंड के चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह, कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस आरआर प्रसाद ने भी संबोधित किया। इस दौरान विभिन्न मामलों के 141 पीड़ितों के बीच मुआवजा वितरित किया गया।

न्याय सदन डोरंडा के सेमिनार में शनिवार को चेक देते सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस।

पीड़ितों के प्रति संवेदनशील होना होगा: जस्टिस दवे : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिल आर दवे ने कहा कि आपराधिक मामले में हमें पीड़ितों के प्रति संवेदनशील होना होगा। सजा देने के समय जजों के दिमाग में कैदी रहते हैं। कैदियों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है, लेकिन पीड़ित के पीछे कोई नहीं रहता। समाज को उसका ख्याल रखना चाहिए। झालसा ने पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए जो पहल की है, वह देश के लिए संदेश है।

पीड़ितों के पीछे रहता है उनका दर्द : चीफ जस्टिस : आपराधिक मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देना अहसान नहीं है, बल्कि यह उनका अधिकार है। ऐसे मामलों की सुनवाई के दौरान हमें इस पक्ष को गौण नहीं करना चाहिए, बल्कि इसपर गौर करना चाहिए।

तीन मासूमों को मिला दो लाख का मुआवजा

रांची। गुमला में 18 दिसंबर को नक्सलियों ने एक दंपती की हत्या कर दी थी। उनके तीन बच्चे हैं। एक की 10, दूसरे की आठ और तीसरे की छह साल है। हत्या के बाद बच्चों की परवरिश बड़ी समस्या थी। दस जनवरी को इसकी जानकारी एक पारा लीगल वॉलेंटियर को मिली। उसने झालसा को अवगत कराया। 11 जनवरी को एसपी के साथ बैठक हुई। इसके बाद बात शुरू हुई। 20 जनवरी को सरकार ने दो लाख का मुआवजा तय किया।

चेक देते भावुक हुए जस्टिस दवे : बच्चों को चेक देते समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिल आर दवे भावुक हो गए। कहा कि बच्चों की परवरिश और पैसे की देखभाल कैसे होगी। इसपर बताया गया कि झालसा और सरकारी अधिकारी इसपर नजर रखेंगे।

रांची, रविवार 24 जनवरी, 2016

दैनिक भास्कर

141 पीडितों को मिला 32 लाख का मुआवजा, जस्टिस आरके दवे ने कहा

झारखंड शीघ्र होगा विकसित राज्य

लीगल रिपोर्टर | रांची

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिल आर दवे ने कहा कि झारखंड मोस्ट एडवांस स्टेट है। यह बहुत जल्द विकसित राज्यों की श्रेणी में होगा। जस्टिस दवे शनिवार को न्याय सदन, डोरंडा में मुआवजा से पीड़ितों की मदद विषयक कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मौके पर विभिन्न कांडों के 141 पीडितों को सहयोग के रूप में कुल 32 लाख रुपए बतौर मुआवजा वितरित किए गए। यह राशि वर्ष 2012 में लाए शुरू पीड़ित मुआवजा योजना के तहत दी गई। इसमें दुष्कर्म, हत्या, नाबालिग बच्चियों के साथ होनेवाले अपराधों से प्रभावित शामिल थे। कार्यशाला का आयोजन झालसा की ओर से किया गया था। जस्टिस दवे ने कहा कि पीडितों के लिए हमारी न्याय व्यवस्था शुरू से ही तत्पर है। दंड संहिता की धारा 357 में संशोधन करके मुआवजा के प्रावधान को और उपयोगी बना दिया गया है। कार्यशाला को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 से पहले पीड़ित की आर्थिक मदद के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की पहल पर इसे कारगर ढंग लागू किया गया है।

कार्यशाला को संबोधित करते जस्टिस एआर दवे, साथ में चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह व अन्य।

तीन बच्चों को सरकार ने लिया गोद : जस्टिस पटेल

हाईकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि गुमला जिले में हत्या के एक मामले में तीन पीड़ित बच्चों को राज्य सरकार ने न सिर्फ गोद लिया, बल्कि मुआवजा के तौर पर दो लाख की राशि भी दी है। यह सब झालसा, डालसा और इसके अंतर्गत कार्य करने वाले पीएलवी के सजग प्रयास से संभव हुआ। बताते चलें कि पीड़ित बच्चे सहोदर भाई-बहन हैं। इनके पिता की हत्या कर दी गई थी। नका पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं था। कार्यशाला के मौके पर मिली दो लाख की मुआवजा राशि इनका भविष्य संवारने में काम आएगी।

सिविल कोर्ट में 40 कोर्टरूम का शिलान्यास

सिविल कोर्ट परिसर में 40 कोर्टरूम का शिलान्यास सुप्रीम कोर्ट के जज अनिल आर दवे और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने किया। मौके पर जस्टिस डीएन पटेल, आरआर प्रसाद, पीपी भट्ट, आरएन वर्मा, अप्रेश सिंह और प्रधान न्यायायुक्त एवी सिंह समेत सिविल कोर्ट के सभी न्यायिक पदाधिकारी एवं अधिवक्ता मौजूद थे। 40 कोर्ट रूम में न्याय सदन भी बनेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में जल्द ही तीन सब डिवीजनल कोर्ट और दो एडीआर सेंटर खोले जाएंगे। इस दिशा में पहल शुरू हो चुकी है।

खबर मन्त्र | रांची. रविवार, 24 जनवरी. 2016

विक्टिम कंप्नसेशन विषय पर आयोजित सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल आर दवे ने कहा ..

पीड़ितों की मदद, पुनर्वास जरूरी

141 पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, मुआवजा की राशि बढ़ाने को लेकर होगी चर्चा

विक्टिम कंप्नसेशन विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार में झालसा की पुस्तक का विमोचन और समारोह का उदघाटन करते न्यायमूर्ति दवे, वीरेंद्र सिंह और अन्य अतिथि।

संवाददाता

रांची। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सह नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अनिल आर दवे ने कहा कि गुनाहगारों को सजा मिल जाती है, लेकिन पीड़ितों की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं देता है। गुनाहगार सजा के बाद पुनः नयी स्थिति में आ जाता है। जिसके साथ घटना घटती है, वह उसके जीवन भर के लिए कष्टदायक हो जाती है। पीड़िता के साथ-साथ उसके परिवार भी घटना से प्रभावित रहता है। ऐसे पीड़ितों की सहायता और उनका पुनर्वास जरूरी है। उनकी सहायता के लिए समाज को आगे आना चाहिए। समाज पीड़ितों का ख्याल करे। जो पीड़ित है, जिसका कोई दोष नहीं होता है, उन्हें सहायता के रूप में समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस दिशा में झारखंड ने कदम उठा कर उत्कृष्ट कार्य किया है। जस्टिस श्री दवे बतौर मुख्य अतिथि शनिवार को डोरंडा स्थित न्याय सदन सभागार में विक्टिम कंप्नसेशन विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) की ओर से किया गया था।

जस्टिस दवे ने कहा कि पीड़ितों को मदद करने में सरकारी अधिकारी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। उनके बिना यह संभव नहीं है। इससे पूर्व झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष व झारखंड हाइकोर्ट के वरीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विषय प्रवेश कराया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की सहायता के लिए मुआवजा का प्रावधान किया गया है। नियमावली बन जाने के बाद अब पीड़ितों को सहायता दिलाने में तेजी आयेगी। झालसा ने इस दिशा में कदम उठाया है। लगभग 141 केस चिन्हित किये गये है, जिनके बीच 32 लाख रुपये का मुआवजा भुगतान किया जायेगा। जस्टिस पटेल ने कहा कि सेनसेटाइजेशन के साथ-साथ जागरूकता की आवश्यकता है। झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न मामलों में तय मुआवजा राशि अलग-अलग है। इसमें समानता लाने की भी जरूरत है। जस्टिस दवे सहित अन्य न्यायाधीशों ने झालसा द्वारा विक्टिम कंपनसेशन पर प्रकाशित पंपलेट व पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान जस्टिस दवे ने हत्या, दुष्कर्म, पाक्सो मामले के पीड़ितों को मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन जस्टिस आर आर प्रसाद ने किया। इस अवसर जस्टिस प्रशांत कुमार, जस्टिस पीपी भट्ट सहित हाइकोर्ट के अन्य सभी न्यायाधीशगण, कारा महानिरीक्षक सुमन गुप्ता, नालसा के सदस्य सचिव आलोक अग्रवाल, महानिबंधक अनिल कुमार चौधरी, झारखंड स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला, 12 जिलों के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, विभिन्न जेलों के अधीक्षक, पीएलवी, अधिवक्ता आदि उपस्थित थे।

गुनाहगारों का ख्याल जेल तक तो, पीड़ितों की सहायता भी अनिवार्य

सेमिनार में झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह ने कहा कि आपराधिक घटनाओं से प्रभावित पीड़ितों का पूरा परिवार सफर करता है। पीड़ितों को मुआवजा पाने का अधिकारी है। अदालत के आदेश पर झारखंड सरकार ने झारखंड पीड़ित कल्याण अधिकोष नियमावली 2014 लागू किया है। इसके तहत ही पीड़ितों का मुआवजा राशि दी जाती है। पीड़ितों को सहायता देना बड़ी बात है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोर्ट गुनाहगारों का ख्याल जेल तक करता है, तो पीड़ित का ख्याल भी कोर्ट को करना होगा। कोर्ट को पीड़ित के लिए खड़ा होना है। उन्हें मुआवजा दिलाना कोर्ट की अनिवार्य ड्यूटी है। चीफ जस्टिस श्री सिंह ने कहा कि इस योजना का पूरे राज्य में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाये। इसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। कर्नाटक हाइकोर्ट के जस्टिस विनीत शरण ने कहा कि देश में कई कानून है, लेकिन उसमें विक्टिम को मुआवजा का मामला काफी महत्वपूर्ण है। पीड़ित मुआवजा को लेकर जन जागरूकता बहुत जरूरी है। इस स्कीम के विषय मे लोगों को कम जानकारी है। झारखंड ने नियमावली बना कर सराहनीय कार्य किया है।

झालसा की पहल पर तीन अनाथ बच्चों को सरकार ने लिया गोद : जस्टिस पटेल

झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल ने बताया कि हत्या के 21, पाक्सो के 29 व दुष्कर्म के 41 मामलों को मुआवजा के लिए चिह्नित कर मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष गुमला में तीन बच्चों के माता-पिता की हत्या कर दी गयी थी। बच्चों को देखनेवाला कोई नहीं था। वहां के पारा लीगल वालेंटियर (पीएलवी) ने इसकी सूचना झालसा को दी। उसके बाद तुरंत आवेदन पर कार्रवाई की गयी। जगू महली (10 वर्ष), रीना कुमारी (आठ वर्ष) व अनुज महली (छह वर्ष) को गुमला के उपायुक्त ने 20 जनवरी को दो लाख रुपये का मुआवजा राशि स्वीकृत किया। सरकार द्वारा बच्चों को गोद लिया गया। उन्हें स्कूल में दाखिला कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिल आर दवे ने उक्त तीनों बच्चों को 66 हजार 666 रुपए (कुल दो लाख रुपये) का मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया। इनके माता-पिता को बीते दिसम्बर महीने में नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। 10 जनवरी को इसकी जानकारी मिलते ही तीनों बच्चों को सिर्फ 12 दिनों में पुनर्वास की व्यवस्था की गयी। इसके अलावा मुआवजा पानेवालों में तीजन देवी, सहचरी देव, नोनी देवी, गीता देवी, सरस्वती कच्छप, एतवारी देवी, विलियम तिर्की, मजीरन खातून, सुषमा लकड़ा, रीना कच्छप, ललिता देवी , मनोज मुंडा व अन्य।

सन्मार्ग
रांची, रविवार, 24 जनवरी 2016
www.pmedia.in

पीड़ितों को हक दिलाने के प्रति सचेत रहें: जस्टिस दवे

संवाददाता

रांची : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिल आर दवे ने कहा है कि पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए समाज को आगे आना होगा। ज्यूडिशियरी भी समाज का हिस्सा है। जजगण अपराधियों को सजा देते समय सिर्फ यही नहीं देखें कि अभियुक्त को बहुत सजा मिल गयी है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखें कि उस अपराधिक घटना के कारण पीड़ित पक्ष ने क्या खोया है। जस्टिस दवे डोरंडा स्थित न्याय सदन में शनिवार को मुआवजा द्वारा पीड़ितों की मदद विषय पर आयोजित परिचर्चा में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस अवसर पर 141 पीड़ितों को 32 लाख रुपये मुआवजा का भुगतान किया गया। जस्टिस दवे ने कहा कि समाज का दायित्व है कि वह पीड़ितों के बारे में सोचे। पीड़ितों को मुआवजा दिलाने में झारखंड लिगल सर्विसेस आर्थरिटी (झालसा) अच्छा कदम उठा रहा है। पूरे देश में झालसा के इस कदम की सराहना हो रही है। झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मुआवजा पीड़ित पक्ष का अधिकार है, उसे दास प्रथा से मुक्त कराने की

आवश्यकता है। पीड़ित मुआवजा के संबंध में हाइकोर्ट व सिविल कोर्ट के जजों को उन्होंने सलाह दी कि वे पीड़ितों के मुआवजा के पार्ट को न भूलें। जजगण चाहे आरोपियों को सजा दें या उन्हें रिहा करें दोनों ही स्थितियों में पीड़ितों को हक दिलाने के प्रति सचेत रहें। कर्नाटक हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति विनीत शरण ने कहा कि पीड़ितों को मुआवजा मिले इसके लिए लोगों में जागरुकता लाना जरूरी है। इस दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) प्रयास कर रहा है। पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का कानून कोई नई बात नहीं हैं। पर मौजूदा दौर में इसे ज्यादा जोर देकर लागू करवाने की जरूरत है। झारखंड हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि गुमला जिले में एक मर्डर के मामले में डालसा के सहयोग से तीन पीड़ित बच्चों को चिह्नित किया गया, जिन्हें दो लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि 11 जिलों के डीसी व एसपी से विडियोकांफ्रेंसिग के माध्यम से बातचीत उन्होंने की, जिसमें 41 रेप पीड़त, 21 मर्डर की घटना से पीड़ित, 29 पोक्सो के पीड़ित चिह्नित हुए, जिन्हें 24 लाख रुपये मुआवजा दी जायेगी। पीड़ित वेलफेयर रूल्स 2014 के तहत गंभीर अपराधी जो जेल में काम कर कमाते हैं, उस पैसे को पीड़ितों के बीच बांटने की व्यवस्था की जा रही है। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद ने कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन किया।

40 कोर्ट्स बिल्डिंग का हुआ शिलान्यास

रांची : रांची सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस अनिल आर दवे ने 40 कोर्ट्स बिल्डिंग का शिलान्यास किया। मौके पर मुख्य अतिथि जस्टिस दवे, विशिष्ट अतिथि कर्नाटक हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति विनीत शरण, झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति डीएन पटेल समेत कई जजगणों ने पूजा अर्चना कर व नारियल फोड़कर इसकी आधारशिला रखी। यहां बता दें कि यह कोर्ट्स बिल्डिंग जी प्लस फाइव का होगा। जिसका निर्माण 22 करोड़ रुपये की लागत से रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। इसे दो वर्ष में पूरा होना है। मौके पर हाइकोर्ट व सिविल कोर्ट के जजगण, राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग के सचिव केके सोन के अलावा रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन के निदेशक रंजन कुमार सहित कई अधिवक्तागण उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए जस्टिस दवे ने कहा कि यह कोर्ट्स बिल्डिंग जल्द बन जाये, इसकी वे अपेक्षा रखते हैं। मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज यहां कोर्ट्स बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ हैं। सिविल कोर्ट में जजों की संख्या 78 होनी चाहिए, पर अभी जजों की संख्या यहां 38 है। अन्य जज ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कोर्ट्स बिल्डिंग त्वरित न्याय में सहायक होंगे। वर्ष 2016 उत्कृष्ट वर्ष के रूप में साबित होगा। इस वर्ष में तीन सब डिविजनल कोर्ट व दो एडीआर सेंटर बनेंगे।

रांची एक्सप्रेस
रांची, रविवार 24 जनवरी 2016

झारखंड पीड़ितों को त्वरित मुआवजा देने वाला पहला राज्य

रांची, 23 जनवरी (हि.स.) : झारखंड आपराधिक घटनाओं से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। शनिवार की को इसकी शुरुआत गुमला जिले में पिछले महीने हुए एक दंपति की हत्या से प्रभावित उनके तीन बच्चों को मुआवजा देकर की गयी।

डोरंडा स्थित न्याय सदन में आयोजित कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिल आर.दवे ने इन बच्चों को दो लाख रुपये मुआवजा देकर इस अभियान की शुरुआत की।

गुमला के सोसो के रहने वाले इन तीनों बच्चों जम्पू रीना और अनुज के माता-पिता की हत्या 17 दिसंबर को कर दी गई थी। दस जनवरी को झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से पारा लीगल वालंटियर ने मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपी और शनिवार को बच्चों को मुआवजा राशि दी गई। कार्यक्रम में 141 पीड़ितों के बीच 32 लाख रूपये बतौर मुआवजा बांटे गए।

इनमें 41 बलात्कार की घटनाओं के पीड़ित, 21 हत्या मामले के और 29 पोस्को मामले के पीड़ित शामिल हैं। मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डी.एन. पटेल ने कहा की यह बड़ी अजीब विडंबना है की हम अभियुक्तों के बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन हमारा ध्यान घटना की वजह से पीड़ित हुए व्यक्ति या फिर परिवार की ओर बमुश्किल जा पाता है।